

बंशी वगै० बनाम महेश उर्फ रमेश वगै०
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)
 प्रा०पत्र संख्या.....1.4.8../2025 प्रा०पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
 जीसीएमएस संख्या: 2025/434,

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
	15.1.26	बकुलाये फरीकेंन उपायत वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 02.2.26 को पेश हो।	
	5-2-26	पत्रावली पेश। पत्रावली वकील उषा पत्रावली वापस तारीख देते दिनांक 10-3-26 को पेश हो।	
	10/3/26	उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत समस्त पत्रावली एवं विवादों का कार्य रोक के तालिका के अनुसार रोकेंगे के तालिका प्रतिकीर्ण प्रतिकीर्ण के 01 से 04 की कार्यवाही की जाती है उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत को मूलवाद का फैसला होने तक न्यायिक कार्य रोकेंगे दिया। अतः पर मन्त्रिका पत्रावली का अन्तर्गत किया गया। त.ा. को मूलवाद का फैसला होने तक न्यायिक किया जाता है पत्रावली अन्तर्गत हुआ होकर अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत जायित्वा इतर है	उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)